

अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर की ओर से मुख्य अभियन्ता (पथ) सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर को लिखे पत्र क्रमांक एफ एफएफ- 7 (65)/A&F/Sec-II/2020-21- डी-57 दिनांक 8/10/20 की प्रतिलिपि

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा की अनुपालना में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने बाबत।

महोदय,

निर्देशानुसार राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की घोषणा के अनुसरण में निम्न कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में 10 कार्यों हेतु राशि ₹ 142.21 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नानुसार प्रदत्त की जाती है:-

क्र.स.	जिला	कार्य का नाम	सड़क की श्रेणी	लम्बाई (किमी)	लगत (करोड में)	जोय नं०
1	बांरा	मोंगरोल से अन्ता वाया पंचेल कला सड़क किमी. 2/0 से 31/0 का चौड़ाईकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य	MDR-127	29.00	49.94	2/5054//SRF-MDR/2020-21
2.	जोधपुर	डांगियावास-गुडा-काकाणी-लूणी-धुन्धाडा- समदडी सड़क के किमी 23/500 से 68/0 का चौड़ाईकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	SH-68	34.50	27.00	3/5054//SRF-SH/2020-21
3.	जोधपुर	ढंडोरा-मंगोरिया सड़क किमी. 2/500 से 5/0 का निर्माण कार्य	VR	2.50	0.60	1/5054//SRF-RR/2020-21
4.	जोधपुर	माणकपुर से बासनी हरिसिंह किमी. 0/0 से 6/0 का चौड़ाईकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य	VR	6.00	4.20	2/5054//SRF-RR/2020-21
5.	जोधपुर	पालडी राणावता -आसन्डा सड़क किमी. 1/0 से कबीर आश्रम-लवारी सड़क का निर्माण कार्य	VR	7.00	2.01	3/5054//SRF-RR/2020-21
6.	जोधपुर	सुरपुरा-हिंगोली-लवारी सड़क का निर्माण कार्य	VR	6.50	1.96	4/5054//SRF-RR/2020-21
7.	चूरु	चूरु-तारानगर सड़क के किमी. 0/0 से 25/0 का चौड़ाईकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	SH-36	22.00	16.00	6/5054//SRF-SH/2020-21
8.	प्रातपगड	धरियावद प्रातपगड मन्दसौर सड़क (SH-81 ) किमी 58/0 से 73/0 का सुदृढीकरण कार्य	SH	15.00	7.50	8/5054//SRF-SH/2020-21

क्र.स.	जिला	कार्य का नाम	सड़क की श्रेणी	लम्बाई (किमी.)	लगत (किरोड में)	जोड़ नं०
9.	बाड़मेर	जालीमा हस्तानी- सड़क कि.नं. 22/0 से 37/0 एवं 42/0 से 51/0 का पुनर्निर्माण कार्य	ODR-35	19.00	3.00	8/5054//SRF-RR/2020-21
10.	जयपुर	विराटनगर (एन एच 248ए) से विलपाली मोड़(एन एच 148) चाया तेवड़ी, सेवडा, पालडी, पालडी तिराहा, घेवता, स्वामी की ढाणी, वादशाहपुर, गुडा, वैजनाथपुरा, टोडालारी का पुनर्निर्माण कार्य	MDR-231	29.10	30.00	6/5054//SRF-MDR/2020-21
योग				170.6	142.21	

उक्त व्यय निम्न बजट मद में भारित किया जावेगा-

SRF-SHW works		
Gen	SC	ST
5054-सड़कों एवं सेतुओं पर पुंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य (07)-राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें [90]-निर्माण कार्य 74-सड़कों एवं पुलों का निर्माण व्यय	5054-सड़कों एवं सेतुओं पर पुंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (04)-राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें(एस एच) [90]-निर्माण कार्य 74-सड़कों एवं पुलों का निर्माण व्यय	5054-सड़कों एवं सेतुओं पर पुंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (04)-राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें(एस एच) [90]-निर्माण कार्य 74-सड़कों एवं पुलों का निर्माण व्यय
SRF-MDR works		
Gen	SC	ST
5054-सड़कों एवं सेतुओं पर पुंजीगत परिव्यय 04-जिला एवं अन्य सड़कें 800-अन्य सड़कें (14)-राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें(एमडीआर) [90]-निर्माण कार्य 74-सड़कों एवं पुलों का निर्माण व्यय (आयोजना)	5054-सड़कों एवं सेतुओं पर पुंजीगत परिव्यय 04-जिला एवं अन्य सड़कें 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (06)-राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें(एमडीआर) [90]-निर्माण कार्य 74-सड़कों एवं पुलों का निर्माण व्यय (आयोजना)	5054-सड़कों एवं सेतुओं पर पुंजीगत परिव्यय 04-जिला एवं अन्य सड़कें 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (08)-राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें(एमडीआर) [90]-निर्माण कार्य 74-सड़कों एवं पुलों का निर्माण व्यय (आयोजना)
SRF-RR works		
Gen	SC	ST
5054-सड़कों तथा सेतुओं पुंजीगत परिव्यय 04-ग्रामीण सड़कें 800-अन्य सड़कें (23)-राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें(डीआर) [90]-निर्माण कार्य 74-सड़कों एवं पुलों का निर्माण व्यय (आयोजना)	5054-सड़कों तथा सेतुओं पुंजीगत परिव्यय 04-ग्रामीण सड़कें 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (18)-राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें(डीआर) [90]-निर्माण कार्य 74-सड़कों एवं पुलों का निर्माण व्यय (आयोजना)	5054-सड़कों तथा सेतुओं पुंजीगत परिव्यय 04-ग्रामीण सड़कें 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (10)-राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें(डीआर) [90]-निर्माण कार्य 74-सड़कों एवं पुलों का निर्माण व्यय (आयोजना)

Urban Road Budget Head		
5054-सड़कों तथा सेतुओं पुंजीगत परिव्यय 04-जिला एवं अन्य सड़कें 800-अन्य व्यय (08)-शहरी सड़कें 74-सड़कों तथा पुलों का निर्माण कार्य	5054-सड़कों तथा सेतुओं पुंजीगत परिव्यय 04-जिला एवं अन्य सड़कें 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (03)-शहरी सड़कें 74-सड़कों तथा पुलों का निर्माण कार्य	5054-सड़कों तथा सेतुओं पुंजीगत परिव्यय 04-जिला एवं अन्य सड़कें 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (12)-शहरी सड़कें 74-सड़कों तथा पुलों का निर्माण कार्य

वित्त विभाग की आईडी संख्या 102002440 दिनांक 14.9.2020 एवं प्रशासनिक विभाग की आईडी संख्या /उप मुख्यमंत्री /सानि.वि./2019 दिनांक 19.5.2020 के अनुसरण में निम्न शर्तों के साथ जारी की जा रही है

- (1) राशि का व्यय बजट प्रावधान की सीमा में करना सुनिश्चित किया जावेगा।
- (2) निविदा आमंत्रण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना में स्वीकृत नहीं है।
- (3) प्रस्तावित कार्य PWF&AR, RTPP Act/Rules, विभागीय नियमों/ योजना के दिशा-निर्देशों तथा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।
- (4) प्रस्तावित कार्यों के निष्पादन में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी पत्रों में वर्णित दिशा-निर्देशों/शर्तों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जायेगी।
- (5) यह सुनिश्चित किया जावे की निविदा आमन्त्रण से पूर्व प्रस्तावित कार्य की ड्राईंग एवं डिजाइन अनुमोदित करा ली है, तथा अधिग्रहण की आवश्यकता होने पर भूमि अधिग्रहित कर ली गई है।
- (6) निविदा आमंत्रण से पूर्व चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू नहीं है, यह सुनिश्चित कर लिया जावे।


## कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

एफ- 7 (65)/A&F/Sec-II/2020-21- डी-52  
प्रतिलिपि निर्माकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक 9/10/20

- 1 अति. मुख्य अभियन्ता सा.नि.वि. संभाग -
- 2 अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि. वृत्त -
- 3 अभिशाही अभियन्ता खण्ड -
- 4 मु. अभि. (पथ) अधीक्षण अभियन्ता (पथ)/उपनिदेशक, सांख्यिकी/बजट लिपिक (पथ)/कम्पाईलेशन लिपिक, मुख्य अभियन्ता कार्यालय, सा.नि.वि. राजस्थान, जयपुर

तकमीने में कार्य के विरुद्ध व्यय करने में माहवार लेखों में शामिल करते समय भविष्य में स्वीकृति से संबंधित सभी संदर्भों में कार्य का जोब नम्बर जैसा कार्य को आवंटित किया गया है व कार्य के विवरण के समक्ष अंकित किया गया है वैसा ही बिना बदलाव के लिखा जावे। उक्त कार्यों की राशि पर प्रारेटा (प्रतिभार) सहित है। व्यय आवंटित बजट सीमा तक ही किया जावे।

  
(संजीव माथुर)  
मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव,  
सा.नि.वि. राज. जयपुर